फारम-VIII - क

कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 309 तिथि- 28.12.2016 के संदर्भ में /

एस.एस. मेट्रो मॉल कम मल्टीप्लेक्स एवं रेसीडेन्सियल कम्पलेक्स, मेसर्स एस.डी.एस.डी. एण्ड पी. प्राईवेट लिमिटेड(जे.भी.), पता-संत कैरेन्स हाई स्कूल के आगे, गोला रोड, दानापुर, पटना।

(क) ✓ आवासीय भवन के निर्माण

(ख) ✓ व्यवसायीक भवन के निर्माण

(ग) भवन के पुनःनिर्माण

(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन

(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु नगर परिषद दानापुर बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित स्कीम के 309 प्लौट नं0- 1409, 1410(P) एवं 1411, खाता नं0- 165, 171 एवं 208, तौजी नं0-5399, थाना नं0- 21, मौजा-दानापुर शहजादपुर, पता-गोला रोड, दानापुर थाना-दानापुर, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखितशर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना सिंगल प्लान केस नं0- 187../16-17 तथा जिसका निर्माण क्षेत्रफल व्यवसायीक 8280.59 वर्ग मीटर (BLOCK- B1+B2+G+5) एवं आवासीय 19521.96 वर्ग मीटर (BLOCK- A+B) B+G+10 भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाती है:-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 8036.66 वर्ग मीटर (व्यवसायीक+आवासीय) का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 18.90 मी0 चौड़ाई के अनुमोदित पहूंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के

अधिनस्थ नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में 237.73 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(ञ) अन्य शर्त

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

Rau 27/01/17.

कनीय अभियंता
नगर परिषद दानापुर निजामत

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांकः- 187 /दिनांकः- 28/1/2017

प्रतिलिपिः- एस.एस. मेट्रो मॉल कम मल्टीप्लेक्स एवं रेसीडेन्सियल कम्पलेक्स, मेसर्स एस.डी.एस.डी. एण्ड पी. प्राईवेट लिमिटेड(जे.भी.), पता-संत कैरेन्स हाई स्कूल के आगे, मोला रोड, दानापुर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत